दिनांकः 27.04.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी,सहारनपुर पुलिस द्वारा पोक्सो एक्ट के मुकदमें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनाँक 26.04.2025 को वादिया की लिखित तहरीर बावत अभियुक्त शेखर पुत्र शोराज निवासी ग्राम सददा माजरा थाना गागलहेडी सहारनपुर द्वारा वादिया की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में थाना गागलहेडी पर मु0अ0स0 61/25 धारा 137(2)/64(2), बीएनएस व 3(क)/4 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधो की रोकथाम व इन घटनाओं में शामिल अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिये ।इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सुरेश कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनाँक 27.04.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना गागलहेडी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **शेखर पुत्र शोराज निवासी ग्राम सददा माजरा थाना गागलहेडी सहारनपुर** को ग्राम सददा माजरा से ग्राम कुतुबपुर कुसैनी जाने वाली रोड के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

शेखर पुत्र शोराज निवासी ग्राम सददा माजरा थाना गागलहेडी सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.थानाध्यक्ष श्री सुरेश कुमार थाना गागलहेडी सहारनपुर

2.उ0 नि0 श्री सुभाष चन्द्र थाना गागलहेडी सहारनपुर

3.है0 का0 38 सुरेन्द्र कुमार थाना गागलहेडी सहारनपुर

4. है0 का0 298 प्रताप सिंह थाना गागलहेडी सहारनपुर

दिनांक: 27.04.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा 01शराब तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 12 बोतल देशी शराब माल्टा हरियाणा मार्का बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे जनपद में अपराध नियंत्रण, मादक पदार्थों की तस्करी के अवैध कारोबार की रोकथाम व इसमें शामिल अभुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री पीयूष दीक्षित थाना गंगोह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 27.04.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा चैकिंग/गशत के दौरान 01 शराब तस्कर अभियुक्त **आलिम पुत्र इदरीश निवासी ग्राम नया कुण्डा थाना गंगोह जिला सहारनपुर** को यमुना पटरी से ग्राम चाऊपुरा सरकड जाने वाले रास्त के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से12 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद हुई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना गंगोह पर मु0अ0सं0-139/25 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त अभियुक्त ने बताया कि मैं कम पढा लिखा हूँ व मजदूरी का कार्य करता हूँ। अक्सर मुझे पैसो की कमी रहती है। इसलिये मै हरियाणा राज्य से सस्ते दाम में शराब खरीद कर लाता हूँ औरअपने गांव व आसपास के गावों में ऊंचे दामो पर बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेता हूँ।आज जब मैं हरियाणा राज्य से शराब ले कर आ रहा था तो पुलिस ने मुझे पकड़ लिया।

बरामदगी -

- 12 बोतल देशी शराब माल्टा हरियाणा मार्का

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

आलिम पुत्र इदरीश निवासी ग्राम नया कुण्डा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 महिपाल सिह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. हे0का0 472 जितेन्द्र सिंह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. हे0का0 346 हरेन्द्र धामा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

दिनांक: 27-04-2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बिहारीगढ, सहारनपुर पुलिस द्वारा एनबीडब्लू वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक बिहारीगढ श्री जावेद खान के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 27.04.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना बिहारीगढ पुलिस टीम द्वारा 01 एनबीडब्लू वारण्टी अभियुक्त **करण सिंह पुत्र रकम सिंह निवासी ग्राम फतेहपुर पेलियो थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर** सम्बन्धित वाद सं0 3264/23 धारा 138 NI Act में अभियुक्त को ग्राम फतेहपुर पेलियो में उसके घर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

वारन्टी/अभियुक्ता का नाम व पता-

करण सिंह पुत्र रकम सिंह निवासी ग्राम फतेहपुर पेलियो थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-

1. उ0नि0 विनोद तेवतिया थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 विजय सिह थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
3. का0 2112 मनोज कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक: **27.04.2024**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण, वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिहं थाना कुतुबशेर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 27.04.2024 को वारण्टी **अभियुक्त राहुल पुत्र मित्तल निवासी गली नं0-9 शारदानगर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर** सम्बन्धित वाद सं0 2284/22 मु0अ0सं0 85/2022 धारा 354/376/506/427 भादवि चालानी थाना कुतुबशेर (माननीय न्यायालय ए0डी0जे0 / एफ0टी0सी0 सहारनपुर) को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। वारंटी अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण के नाम व पता-

राहुल पुत्र मित्तल नि0 गली नं0- 9 शारदानगर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिहं थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री अवशेष भाटी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. का0 2033 अजय कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 27.04.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 27.04.2025 को थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त **अफजाल पुत्र सीदा निवासी ग्राम घानाखण्डी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर** सम्बन्धित वाद संख्या 3141/23 धारा आर्म्स एक्ट 25थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर को ग्राम घानाखण्डी से उसके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पताः-

अभियुक्त अफजाल पुत्र सीदा निवासी ग्राम घानाखण्डी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री रामवीर शाक्य थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
2. का0 2267 विष्णु कुमार थाना को0देहात जनपद सहारनपुर

दिनांकः- 27.04.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहानरपुर उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस द्वारा मोटरसाईकिल चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त गिरफ्तार,कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 26.04.25 को वादी डॉ० विपिन कुमार पुत्र श्री बिजयपाल सिंह निवासी गांव हसनपुर थाना नकुड जिला सहारनपुर हाल पता मौ० उत्तम विहार थाना कोतवाली देहात सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत दिनांक 24.04.2025 को अज्ञात चोर द्वारा वादी की दुकान मोती मार्केट बेहट अड्डे के सामने से मोटरसाइकिल चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध मे थाना कोतवाली मण्डी पर मु0अ0सं0-170/2025 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, वाहन चोरी की घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 27.04.25 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग/गस्त के दौरान 01 अभियुक्त मन्नान पुत्र मुमताज निवासी नंलगाखुर्द थाना बेहट जिला सहारनपुर को शकलापुरी रोड पर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 चोरी की मोटरसाईकिल बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने बतया कि दिनांक 24.04.2025 को मैंन व मेरे 01 साथी के मिलकर मोती मार्केट बेहट अड्डे के पास से 01 मोटरसाइकिल चोरी की थी।आज जब मैं चोरी की मोटरसाइकिल को बेचने जा रहा था पुलिस ने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मन्नान पुत्र मुमताज निवासी नंलगाखुर्द थाना बेहट जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 01 चोरी की मोटरसाईकिल स्पलेण्डर बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 जगपाल सिहं थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 नरेन्द्र सोलंकी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. हे0का0 310 विपिन पंवार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
4. का0 1761 संदीप कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

दिनांकः 27.04.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबंद, सहारनपुर पुलिस द्वारा पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में लापरवाही बरतने वाले 03 वांछित अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 26.04.2025 को वादिया श्रीमति हेमलता पत्नी राहुल उर्फ काका निवासी ग्राम फतेहपुर उर्फ सांपला दीवड़ा थाना देवबन्द जिला सहारनपुर विपक्षीगण 1.नफीस पुत्र महमूद हसन 2. नदीम पुत्र नफीस 3. कासिफ पुत्र नफीस निवासीगण मौ0 कायस्थवाडा कस्बा व थाना देवबन्द सहारनपुर व अन्य अज्ञात के द्वारा ईगल फायर वर्क्स निहालखेडी में लाईसेंस से ज्यादा माल का भंडारण करने व प्रतिबन्धित पटाखो का निर्माण एवं जानबूझकर फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरो की जान को जोखिम में डालना, जिससे फैक्ट्री में विस्फोट होने के कारण वादिया के पति काका उर्फ राहुल पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम फतेहपुर उर्फ सांपला दीवडा थाना देवबन्द व अन्य काम करने वाले विशाल पुत्र संदीप निवासी ग्राम गुनारसा थाना देवबन्द व विकास पुत्र राजबल निवासी ग्राम जडौदा जटट थाना देवबन्द सहारनपुर की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में थना देबवंद पर मु0अ0स0- 241/2025 धारा 288/105/238 बीएनएस व 5/9बी विस्फोटक अधि0 पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर घटना में शामिल अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 27.04.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबंद पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तगण **1. नफीस पुत्र महमुद हसन , 2. नदीम पुत्र नफीस, 3. कासिफ पुत्र नफीस निवासीगण मौ0 कायस्थवाडा कस्वा व थाना देवबन्द सहारनपुर** को देवबंद बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया गया । विवेचना के आधार मुकदमा उपरोक्त में धारा 301 बीएनएस व धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि0 1908 की वृद्धि की गयी ।गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्य विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त नफिस ने बताया की फैक्ट्री का लाईसेंस मेरे नाम पर है व मेरे दोनो पुत्र भी मेरे साथ फैक्ट्री के कार्य को देखते थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. नफीस पुत्र महमुद हसन निवासी मौ0 कायस्थवाडा कस्वा व थाना देवबन्द सहारनपुर
2. नदीम पुत्र नफीस निवासी मौ0 कायस्थवाडा कस्वा व थाना देवबन्द सहारनपुर
3. कासिफ पुत्र नफीस निवासी मौ0 कायस्थवाडा कस्वा व थाना देवबन्द सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

(1) उ0 नि0 श्री संजय राणा थाना देवबंद जनपद सहारनपुर

(2) है0 का0 मौजिन्दर राणा थाना देवबंद जनपद सहारनपुर

(3) का0 उमेश कुमार थाना देवबंद जनपद सहारनपुर

(3) का0 मनोज कुमार थाना देवबंद जनपद सहारनपुर